दिनाक 18.12.2020
प्रेस विज्ञप्ति–18 / 20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः 02 अवैध शस्त्र तस्कर गिरफ्तार

दिनांक 17.12.2020 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 द्वारा थाना नौंचदी जनपद मेरठ क्षेत्र से अवैध शस्त्र तैयार कर उनकी तस्करी करने वाले गैंग के 02 सदस्यों को अवैध तमन्चों एवं तमंचे बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– रहीश मुल्ला पुत्र इब्राहीम, नि0 किदवई नगर ऊँचा पीर, थाना लिसाडी गेट, मेरठ।

2– शमशाद पुत्र इश्तियान नि0 सराय बहलीम, सब्जी वाली गली थाना कोतवाली मेरठ।

बरामदगीः

1. 03 अदद नाजायज पिस्टल .32 बोर।
2. 02 अदद नाजायज रिवाल्वर .32 बोर।
3. 17 अदद तमंचे 315 बोर।
4. 01 अदद तमंचा 12 बोर।
5. 01 अदद नाजायज तमंचा .32 बोर।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 17.12.2020, स्थानः डी–ब्लाक, नाले के पास बिजलीघर के पीछे शास्त्रीनगर थाना नौचन्दी समयः–14.15 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में श्री अमिताभ यश, पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ मेरठ एवं श्री अनिल सिंह सिसौदिया, प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 द्वारा

एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट मेरठ की टीम को विश्वस्त सूत्रों एवं मुखबिरों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मेरठ में अवैध शस्त्रों का निर्माण कर विभिन्न स्थानों में तस्करी की जा रही हैं तथा जनपद मेरठ एंव आसपास के क्षेत्रों में बेचा जा रहा हैं।

इसी क्रम में दिनांकः 17.12.2020 को एस0टी0एफ0 मेरठ टीम में अभिसूचना संकलन में मामूर थी। जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि रहीश मुल्ला व शमशाद नाम के व्यक्ति जो क्रमशः थाना लिसाड़ी गेट व थाना कोतवाली मेरठ क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक एक्टिवा स्कूटी नं0 यूपी–15 सीएच–2220 पर दो व्यक्ति जिनके पास अवैध असलहा हैं, जो अवैध शस्त्र बनाने एवं बेचने का काम करते हैं, तेजगढ़ी की तरफ से हापुड अड्डे की ओर जा रहे हैं। इस सूचना पर यकिन करते हुए व उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए निरी0 श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 श्री संजय कुमार, हे0कां0 प्रमोद कुमार, हे0कां0 रकम सिंह, हे0कां0 प्रीतम सिंह, कान्स0 विवेक कुमार, कान्स0 विनय कुमार, कान्स0 रोमिश तोमर, कान्स0 भूपेन्द्र सिंह एंव कान्स0 आकाशद्वीप, कान्स0 अंकित श्यौरान, कान्स0 विकास बैंसला, कान्स0 महेश शर्मा एंव कान्स0 प्रदीप धनकड एस0टी0एफ0 मेरठ टीम द्वारा थाना नौचंदी जनपद मेरठ पुलिस को नई सड़क तिराहे पर मिलने को कहॉ गया। एसटीएफ टीम एंव थाना नौंचदी पुलिस नई सड़क तिराहा पर पहॅुची और उक्त व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगे। समय लगभग 14.15 बजे एक एक्टिवा स्कूटी पर सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये, जिन्हें देखकर पहचानकर मुखबिर द्वारा बताया कि यही वे दो व्यक्ति हैं जिनके पास अवैश शस्त्र हैं। एसटीएफ टीम व स्थानीय पुलिस द्वारा नई सडक तिराहे पर घेराबन्दी करते हुए उक्त स्कूटी को रोकने का इशारा किया परन्तु वह नही रूके और स्कूटी तेज भगानी चाही परन्तु सड़क पर वाहन अधिक होने के कारण एक्टिवा बाई तरफ फिसल कर गिर गयी और दोनों व्यक्तियों ने एक्टिवा छोड़कर भागने का प्रयास किया, जिन्हें आवश्यक बल प्रयोग करते हुए 02 अवैध पिस्टल .32 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। गिर0 अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनों अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध शस्त्र बनाने व बेचने का काम करते हैं। हम ये 02 पिस्टल किसी को दिखाने जा रहे थे कि आप लोगों ने हमे पकड़ लिया। हमारे अन्य साथी डी–ब्लाक शास्त्रीनगर बिजलीघर के पीछ शस्त्रों की सफाई व बनाने का कार्य कर रहें हैं हम उन्हें भी पकड़वा सकते हैं। इस पर गिर0 शुदा दोनों अभियुक्तों को साथ लेकर उनके बताये स्थान पर गये तो गाड़ी देखकर वहॉ काम कर रहे व्यक्ति भागे गये। उक्त स्थान पर स्थित झुग्गी झोपडी की तलाशी ली गयी तो एक झोपड़ी में 17 तमंचे

315 बोर, 01 तमंचा 12, 01 तमंचा .32 बोर, 01 पिस्टल .32 बोर, 02 रिवाल्वर .32 बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने संयुक्त पूछताछ पर बताया कि यह स्कूटी नवाब ने मुझे चलाने के लिए दी हैं। हम अपने साथियों के मिलकर अवैध शस्त्र बनाने व बेचने के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से गाड़ी चोरी कर रॉची झारखण्ड आदि स्थानों पर बेचने का काम भी करते हैं। हम यह कारोबार काफी समय से कर रहें हैं। हम 01 पिस्टल 25,000 रूपये तथा तमंचे 2000 से लेकर 5000 तक मे बेचते हैं। रहीश मुल्ला ने यह भी बताया कि मैं वर्ष 2009 में दिल्ली स्पेशल सेल द्वारा 50–60 अवैध पिस्टल के मामले में जेल जा चुका हूॅ। अपराधी के अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना नौचंदी जनपद मेरठ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 572,573/2020 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट, 574/2020 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट व 411/414 भादवि पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

एसटीएफ:लिंक्डइन व फेसबुक से विभिन्न इंश्योरेंस कम्पनियों के अधिकारियों/कर्मचारियों व बेरोजगार युवक युवतियों का डेटा चोरी कर कोटक जनरल इंश्योरेंस व एचडीएफसी एर्गो कम्पनी का रीजनल मैनेजर बनकर, कोविड–19 प्रोटोकाल बताकर, वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से इंटरव्यू कराकर नौकरी दिलाने का झांसा देकर, आनलाइन ठगी करने वाला अभियुक्त जनपद लखनऊ से गिरफ्तार

दिनांकः 17–12–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को लिंक्डइन व फेसबुक से विभिन्न इंश्योरेंस कम्पनियों के अधिकारियों/कर्मचारियों व बेरोजगार युवक युवतियों का डेटा चोरी कर कोटक जनरल इंश्योरेंस व एचडीएफसी एर्गो कम्पनी का रीजनल मैनेजर बनकर, कोविड–19 प्रोटोकाल बताकर, वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से इंटरव्यू कराकर नौकरी दिलाने का झांसा देकर, आनलाइन ठगी करने वाले अभियुक्त अमित श्रीवास्तव को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

1. अमित श्रीवास्तव पुत्र विष्णुकान्त श्रीवास्तव निवासी 620/129 डब्लू ब्लाक तुलसी बिहार केशव नगर जूही, थाना नौबस्ता, जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी–

1. 01 अदद मोबाइल फोन मुकदमे से सम्बन्धित।

<u>गिरफ्तारी का स्थान व समयः—</u>

दिनांक— 17.12.2020, **स्थान**— एच0ए0एल0 चौराहा लखनऊ। **समय**— 19:00 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से विभिन्न इंश्योरेंस कम्पनियों के अधिकारियों/कर्मचारियों व बेरोजगार युवक युवतियों का लिंक्डइन व फेसबुक से डेटा प्राप्त कर प्राप्त कर वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से इंटरव्यू कराने का झांसा देकर, आनलाइन ठगी करने वाले गिरोहों के सक्रिय होने की सचूनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह सिसौदिया, प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम मे मुख्यालय स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना साइबर क्राइम जनपद लखनऊ में कोटक जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा, कोटेक जनरल इंश्योरेंश कम्पनी का रीजनल मैनेजर बनकर नौकरी देने का झांसा देकर ठगी करने वाले व्यक्ति के विरूद्व मु0अ0स0 11/2020 धारा 419/420 भादवि व 66 सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। उपरोक्त सूचना को विकसित करते हुए मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना के आधार पर दिनांक 17/12/2020 को समय करीब 19:00 बजे अमित श्रीवास्तव उपरोक्त को एच0ए0एल0 चौराहा लखनऊ से एसटीएफ व थाना साइबर क्राइम लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त अमित श्रीवास्तव ने बताया कि मैने वर्ष 2005 मे एम0बी0ए0 करने के बाद आई0डी0बी0आई0 बैंक कानपुर मे सेल्स एग्जिक्यूटिव के पद पर ज्वाइन किया। वर्ष 2006 मे आई0डी0बी0आई0 बैंक सेल्स एग्जिक्यूटिव की नौकरी छोडकर आई0सी0आई0सी0आई0 प्रुडेंसियल लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी की उरई, जनपद जालौन बांच मे यूनिट मैनेजर के पद पर ज्वाइन किया। यहां से वर्ष 2007 मे रिजाइन कर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी हरिद्वार ब्राच में सेल्स मैनेजर के पद पर ज्वाइन किया व वर्ष 2010 तक नौकरी किया। वर्ष 2010 मे एस0बी0आई0 लाइफ इंश्योरेंस की देहरादून ब्रांच मे सीनियर बीडीएम के पद पर ज्वाइन किया व वर्ष 2012 मे एस0बी0आई0 लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी की नौकरी छोड कर पियरलेस जनरल फाइनेंस कम्पनी की कानपुर ब्रांच मे ब्राच मैनेजर के पद पर ज्वाइन किया व वर्ष 2015 मे यहां से रिजाइन कर कानपुर मे ही कोटक लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी की ब्रांच मे सीनियर मैनेजिंग पार्टनर के पद पर ज्वाइन कर वर्ष 2017 तक काम किया। इसके पश्चात् वर्ष 2017 मे ही आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनी कानपुर मे ब्रांच मैनेजर के पद पर ज्वाइन किया, मेरी कुछ गलत आदतों की वजह से मुझे 2018 मे कम्पनी से रिजाइन करना पडा। इसके

बाद किसी कम्पनी मे मेरा चयन न होने के कारण वर्ष 2019 से मै लिंक्डइन व फेसबुक से विभिन्न इंश्योरेंस कम्पनियों के अधिकारियों/कर्मचारियों व बेरोजगार युवक युवतियों का डेटा चोरी कर कोटक जनरल इंश्योरेंस व एचडीएफसी एर्गो कम्पनी का रीजनल मैनेजर बनकर, वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से इंटरव्यू कराने का झांसा देकर, आनलाइन ठगी कर रहा हूॅ। मै अभिषेक प्रताप सिंह कोटक जनरल इंश्योरेंस व एचडीएफसी एर्गो कम्पनी का रीजनल मैनेजर बनकर विभिन्न इंश्योरेंस कम्पनियों के अधिकारियों/कर्मचारियों व बेरोजगार युवक युवतियों को काल कर वर्तमान कम्पनी मे मिल रहे वेतन से अधिक वेतन व पद से सीनियर पद पर नौकरी देने का लालच देकर व जब से करोना महामारी के कारण लाकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग प्रारम्भ हुआ है तब से कोविड–19 प्रोटोकाल बताकर पहले खुद टेलीफोनिक इंटरव्यू लेता हूॅ, फिर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एच0आर0 कोटक जनरल इंश्योरेंश से इंटरव्यू कराने की बात कह कर दो अलग–अलग बैंक खातों की चेक whatsapp के माध्यम से भेजकर यह बताता हूॅ कि यह वीडियो कान्फ्रेसिंग कराने वाले वेंडर के बैंक खाते है। फिर उन बैंक खातों मे रूपये जमा करा कर उनको वीडियो कान्फ्रेसिंग के लिए समय बताकर विभिन्न शहरों मे भेजता कर बताता हूॅ कि आपको कोटेक जनरल इंश्योरेंस से ईमेल आ जायेगा। आवेदक रूपया जमा करने के बाद वीडियो कान्फ्रेसिंग के लिए मेरे द्वारा बताये गये पते पर इंटरव्यू के लिए पंहुचता है परन्तु उसको कोटेक जनरल इंश्योरेंस से ईमेल नही आता तो बताता हूॅ कि आपका वीडियो कानफ्रेंसिंग आज नही होगा आपका रूपया डीडी के माध्यम से वापस कर दिया जा रहा है। फिर उसको दो तीन दिन बाद यह बताता हूॅ कि आपका वीडियो कानफेंशिंग का स्लाट मिल गया है आप फिर से उसी बैंक खाते मे रूपया जमा कर दो क्योंकि आपका पहले वाला रूपया आपको डीडी के थ्रू वापस भेज दिया गया है। अब तक मैने विभिन्न इंश्योरेंस कम्पनियों व बिस्टारा एयरलाइंस मे नौकरी दिलाने का झांसा देकर लगभग 120 लोगों से ठगी की है।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को थाना साइबर क्राइम जनपद लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0स0 11/2020 धारा 419/420 भादवि व 66 सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम में दाखिल कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 07 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 995 पेटी अवैध शराब Bombay Special Whisky (अनुमानित मूल्य लगभग 40 लाख) लदी डीसीएम ट्रक व अन्य कई वाहन बरामद।

दिनॉक–18.12.2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 07 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 995 पेटी अवैध शराब Bombay Special Whisky (अनुमानित मूल्य लगभग 40 लाख) लदे डीसीएम ट्रक, 01 अदद स्कार्पियों, 02 अदद पिकप, 01 अदद स्विफ्ट कार व 03 अदद मोटरसाईकिल बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1–शाबिर शाह पुत्र मंजूर शाह, निवासी ग्राम शिवपुर मुंडला, थाना हाट पिपलिया, देवसा, मध्यप्रदेश।

2–राकेश सिंह पुत्र शिव प्रसाद सिंह, निवासी वृंदावन कालोनी, थाना वाणगंगा, जनपद इन्दौर मध्य प्रदेश।

3–अयूब खॉ पुत्र हसन खॉ, निवासी ग्राम न्योरी, थाना हाट पिपलिया, जनपद देवसरा, मध्यप्रदेश।

4–विक्की यादव पुत्र महेन्द्र यादव, निवासी ढकवा, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

5–विनोद यादव पुत्र अच्छेलाल यादव, निवासी बभनपुर, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर।

6–अमर नाथ यादव पुत्र रामपाल यादव, निवासी देवरखा, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

7–संजीव हरिजन पुत्र जिया लाल, निवासी ग्राम महुली, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगीः–

1–995 पेटी अवैध देशी शराब (लगभग 8597 लीटर–अनुमानित मूल्य लगभग 40 लाख रूपये)।

2–01 अदद डीसीएम ट्रक नम्बर यू0पी0–75–एम–5112।

3–01 अदद स्विफ्ट कार नम्बर एम0एच0–05–ए0जे0–7823।

4–01 अदद स्कार्पियों कार नम्बर यू0पी0–62–वी0सी0–6662।

5–01 अदद पिकप अशोक लीलैण्ड नम्बर–यू0पी0–42–ए0टी0–7509।

6–01 अदद महिन्द्रा पिकप नम्बर यू0पी0–72–ए0टी0–5232।

7–01 अदद दो पहिया वाहन स्पेलन्डर नम्बर–यू0पी0–44–बी0बी0–0357।

8–01 अदद दो पहिया वाहन स्पेलन्डर सुपर नम्बर–यू0पी0–72–ए0एक्स–7796।

9–01 अदद दो पहिया वाहन स्पेलन्डर सुपर नम्बर यू0पी0–62–बी0जे0–5972।

10–06 अदद मोबाइल फोन।

11–02 अदद ड्राईविंग लाइसेन्स।

12–01 अदद आधार कार्ड।

13–नगद रूपये 1910।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

पूनी भीम पट्टी राजदेव के बन्द पड़े ईट भट्टा, थाना क्षेत्र चांदा, सुल्तानपुर, दि0 18.12.2020, रात्रि समय 02:10 बजे।

विगत काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब व हरियाणा से अवैध शराब की तस्करी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों–जैसे फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि में की जा रही है। इस सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह सिसौदिया, प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं ठोस कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नीरज कुमार पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थीं।

दिनाँक 18.12.2020 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के निरीक्षक श्री के0सी0 राय व श्री अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, आरक्षी संतोष कुमार, हबीब सिद्दीकी, अजय यादव, सुनील कुमार की टीम जनपद प्रतापगढ़–सुल्तानपुर बार्डर पर आपराधिक अभिसूचना संकलन में व्यस्त थी कि मुखबिर खास के माध्यम से सूचना मिली कि मध्यप्रदेश के जनपद खरगौन से एक वाहन में लदी हुई अवैध शराब विक्रय हेतु जनपद प्रतापगढ़ व सुल्तानपुर जाने वाली है। इस सूचना पर विष्वास कर उक्त टीम के सदस्य तत्काल स्थानीय पुलिस को सहयोगार्थ साथ लेकर थाना चांदा क्षेत्रान्तर्गत मुखबिर द्वारा बताये हुये स्थान पर पहुॅचे, जहॉ पर एक डीसीएम

वाहन से कुछ लोग गत्ते की पेटियों को छोटे वाहनों में लोड कर रहे थे। एक बारगी दबिश देकर अवैध शराब से लदे 01 अदद डीसीएम ट्रक, 01 अदद स्कार्पियों, 02 अदद पिकप, 01 अदद स्विफ्ट कार व 03 अदद मोटरसाईकिल सहित 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तो ने विस्तृत पूछताछ पर बताया कि यह अवैध शराब हम सभी लोग मिलकर मध्यप्रदेश के खरगौन जिले से लोड करके लाए हैं, जिसको अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य राजेश यादव पुत्र सुमेर यादव, निवासी ग्राम सोनपुरा, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ ने मंगवाया था। हम लोग इस अवैध शराब को मध्यप्रदेश से सस्ते दामों पर खरीदकर स्थानीय रूप से फुटकर में आसपास के जनपदों में ऊँचे दामों पर बिक्री करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुऱ में दाखिल करके मु0अ0सं0— 493/2020 धारा—60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय गौ तस्करी करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 18 राशि गोवंश बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई

दिनाक 17.12.2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय गौ—तस्करी करने वाले अभियुक्त चॉद मोहम्मद, गुलजार व आसिफ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 18 रा"ि गोवं"ीय (17 अदद बैल व एक अदद गाय) तथा तस्करी में प्रयुक्त एक अदद ट्रक (10 चक्का) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— चॉद मोहम्मद पुत्र मो0 हारून निवासी—ननौन्ता, जिला—सहारनपुर।

2— गुलजार पुत्र इरफान निवासी व थाना शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर।

3— आसिफ पुत्र मो0 अनीस निवासी व थाना शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगीः

1— 18 अद्द गोवं"ीय (17 बैल 01 गाय)

2— 03 अदद मोबाइल फोन

3— 02 अदद आधार कार्ड

4— 280 रूपया नगद

5— एक अद्द ट्रक यू0पी0 19 टी 1020

6— एक अद्द डी0एल0 (आसिफ)

विगत काफी दिनों से एस0टी0एफ उत्तर प्रदे"ा को सूचना प्राप्त हो रही थी कि उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों से गोरखपुर कु"ाीनगर के रास्ते बिहार प्रदे"ा तक गोवं"ाीय प"ाुओं की व्यापक मात्रा में तस्करी होने की सूचना प्राप्त हो रही थी । इस सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह सिसौदिया प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 द्वारा एस0टी0एफ0 की इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस उपाधीक्षक श्री धर्मे"ा कुमार शाही के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर को अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि इ"तखार नाम का गौ—तस्कर जनपद लखनऊ में कहीं किराये का मकान लेकर गौ—तस्करी के पूरे गिरोह का संचालन कर रहा है व गोवं"ाों के ट्रकों का लखनऊ से बिहार तक सुरक्षित पहुचाने के लिये वह स्वयं अथवा अपने गिरोह के सदस्यों से ट्रक में या उसके आगे पीछे अन्य वाहन से चलते हुये बिहार तक जाता है। उक्त गिरोह के सदस्यों पर कार्यवाही हेतु मुखबिर मामूर किये गये।

दिनांक 17.12.2020 को एस0टी0एफ0 फील्ड ईकाई गोरखपुर को मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गोवं"ाीय पशुओं से लदी हुई एक ट्रक लखनऊ से चलकर गोरखपुर से कु"ाीनगर होते हुये कटने के लिये बिहार ले जाई जा रही है। इस सूचना पर निरीक्षक सत्यप्रका"ा सिंह, उ0नि0 सूरजनाथ सिंह, उ0नि0 आलोक कुमार राय, हे0कां0 य"ावन्त सिंह, विनय कुमार सिंह, एवं अन्य पुलिस बल के साथ पुलिस चौकी सुकरौली पहुचकर स्थानीय पुलिस को साथ लेकर तत्काल बैरियर लगाया जा रहा था कि एक ट्रक गोरखपुर से कु"ाीनगर की ओर आती हुयी दिखाई दी, जिसे देखकर मुखबिर खास ने इ"ाारे से बताया कि यही गोवं"ा से लदी ट्रक है, कि उसे रोकने का प्रयास किया गया कि हम पुलिस बल को जान मारने की नियत से ट्रक में बैठे दो व्यक्तियों ने बाहर देखते हुये चालक से चिल्लाकर कहा कि पुलिस वाले है ट्रक रोकना नहीं उनके उपर चढाकर मार डालो इसपर चालक ने पुलिस वालों पर ट्रक की गति और तेजकर चढाने का प्रयास करते हुये भागने लगा कि तत्काल अपने आप को सुरक्षित रखते हुये पुलिस बल द्वारा अपने सरकारी वाहनो से ट्रक का पीछा किये कि तितला कट के पास गन्ना लदी ट्रेक्टर ट्राली के सामने पड़ जाने के कारण ट्रक आगे नहीं बढ सका तब तक सरकारी वाहनों से पुलिस बल द्वारा ट्रक को सड़क के किनारे लगवाकर रोक कर गिरफ्तार किया गया। तला"ाी से उपरोक्त गोवं"ाीय प"ाुओं की बरामदगी हुई।

पकड़े गये अभियुक्तों से अलग–2 एव एक साथ पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग इ”तेखार के लिये काम करते है। इ”तेखार ने ही इस ट्रक पर लखनऊ से गोवं”ा प”ाुओं को लदवाया था। ट्रक के आगे–2 एक कार से अमजद नाम का व्यक्ति अपने दो साथियों के साथ चल रहा था, जो रास्ते में पडने वाले चेक पोस्टो पर किसी ना किसी माध्यम से सेटिंग कर ट्रक को आगे बढ़ाते रहते हैं। सेटिंग न होने की द”ाा में यदि कोई पुलिस वाला ट्रक को रोकने का प्रयास करता है तो पुलिस वालों पर ट्रक चढ़ाकर भागने का प्रयास करते है। उक्त गोवं”ाीय प”ाओं से लदी ट्रक को इ”तेखार व अमजद के कहने के अनुसार बिहार प्रदे”ा के गोपालगंज में करबला के पास पहुचाना था।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कोतवाली हाटा जनपद कु”ाीनगर पर दाखिल कर उनके विरूद्ध मु0अ0सं0–568/2020 धारा–307 भा0द0वि0 व 3/5ए/8 गोबध निवारण अधिनियम व 11 प”ाु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। गोवं”ाीय प”ाुओं का उचित निस्तारण स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 335 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (Imperial Blue Whisky, Macdowell Superior Whisky, Officer's Choice Whisky अनुमानित मूल्य लगभग 25 लाख) लदी डीसीएम ट्रक व अन्य कई वाहन बरामद।

दिनांक 18.12.2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 335 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (Imperial Blue Whisky, Macdowell Superior Whisky, Officer's Choice Whisky अनुमानित मूल्य लगभग 25 लाख) लदी डीसीएम ट्रक व अन्य कई वाहन बरामद। करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1–निजाम पुत्र सुल्तान खान, नि0 60/208 ए–13, न्यू खवासपुरा जगनेर रोड, थाना षाहगंज, आगरा।

2–राहुल सिंह पुत्र भुरा सिंह नि0 मु0 सरायनजर अली थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद।

बरामदगीः—

1— 335 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (लगभग 2981 लीटर—अनुमानित मूल्य लगभग 25 लाख रूपये)।

2— 01 अदद डीसीएम ट्रक नम्बर यू0पी0—25—एटी—8600।

3— 02 अदद मोबाइल फोन।

4— 01 अदद आधार कार्ड।

5— 02 अदद कूटरचित बिल व बिल्टी (अण्डे रखने के लिए खाली गत्ते की ट्रे)

6— 01 अदद कूटरचित वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।

7— अण्डे रखने के लिए खाली गत्ते की ट्रे।

7— रू0 10,600／— नकद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

निकट एसपी ढ़ाबा इस्कुरी—राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याः 02, थाना क्षेत्र खागा, जनपद फतेहपुर। दिनांक 17.12.2020 समय 22.30 बजे।

विगत काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा हरियाणा से अवैध शराब की तस्करी कर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होकर बिहार राज्य भेजी जा रही है। इस सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह सिसौदिया, प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों／टीमों को अभिसूचना संकलन एवं ठोस कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री लाल प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में मुख्यालय स्थित टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थीं।

दिनाँक 17.12.2020 को एस0टी0एफ0 मुख्यालय के निरीक्षक श्री अंजनी कुमार तिवारी एवं श्री ज्ञानेन्द्र कुमार राय के नेतृत्व में मु0आ0 विनोद सिंह, सुनील सिंह, का0 प्रभाकर पाण्डेय, का0 शेरबहादुर की टीम जनपद फतेहपुर में खागा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 02 पर अभिसूचना संकलन में व्यस्त थे, कि मुखबिर खास के माध्यम से सूचना मिली कि इसी रास्ते हरियाणा राज्य से ट्रक में लदी हुई अवैध अंग्रेजी शराब विक्रय हेतु बिहार जाने वाली है। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम द्वारा तत्काल स्थानीय पुलिस व क्षेत्रिय आबकारी निरीक्षक को सहयोगार्थ साथ लेकर मुखबिर

के बताये अनुसार फतेहपुर की ओर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जा रही थी कि मुखबिर ने एक ट्रक को आता हुआ देखकर बताया कि यही वह ट्रक है जिसमें अवैध शराब है। जिस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त ट्रक को ओवरटेक कर रोककर चालक व केबिन में बैठे एक व्यक्ति सहित दोनों को उतारकर पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा ट्रक में अवैध अंग्रेजी शराब लदी हुई बताया गया, जिसे अण्डे रखने के गत्ते के खाली ट्रे से छिपाया गया है। इस शराब को हमलोग रेवाड़ी हरियाणा से लेकर बिहार के समस्तीपुर जनपद जा रहे है। इस शराब को हमें रेवाड़ी हरियाणा निवासी सोनू एवं गाजियाबाद निवासी रविन्द्र ने दिया है जिसे समस्तीपुर बिहार के रहने वाले चन्दन सिंह को देना था। ट्रक को चेक किया गया तो अण्डे रखने के गत्ते के खाली ट्रे से ढ़की हुई हरियााणा निर्मित अंग्रेजी शराब की पेटिया लदी हुई थीं। जिस पर "For sale in Haryana only" अंकित था। पकड़े गये व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत वाहन उपरोक्त के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के तथ्य भौतिक सत्यापन से कूटरचित पाया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कोतवाली खागा, जनपद फतेहपुर में दाखिल करके मु0अ0सं0—382/2020 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि एवं 60, 63, 72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। परिवहन में प्रयुक्त वाहन उपरोक्त की जब्ती के सम्बन्ध में तथा मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना कलान

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहा अपराधी गिरफ्तार**
- **09 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर,**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे बरामद**

दिनांक 18.12.2020 को थाना कलान पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम दोषपुर के पास स्थित जंगल से अभियुक्त रामप्रकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 03 निर्मित अवैध तमंचा 315 बोर, 03 अवैध रायफल 02 अर्द्धनिर्मित तमंचा 315 बोर, 01 अवैध रिवाल्वर 32 बोर अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना कोतवाली कलान पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

रामप्रकाश निवासी नवाबनगरा थाना उसैत जनपद बदायूं।

<u>बरामदगी</u>

1—09 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचे विभिन्न बोर।

2— अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे आदि।

<u>जनपद गाजीपुर/थाना बरेसर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी सहित 02 अपराधी गिरफ्तार,**
- **लूट के 01 लाख 05 हजार 150 रूपये नगद,01 थम्ब स्कैनर मशीन,**
- **02 अवैध पिस्टल, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस,**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 17.12.2020 को थाना बरेसर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तिराहीपुर तिराहे पर मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी 1—रामअवध उर्फ शेरू सहित 2—राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 05 हजार 150 रूपये नगद, 01 थम्ब स्कैनर मशीन, 02 अवैध पिस्टल, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट के 28 अभियोग जनपद गाजीपुर व बलिया के विभिन्न थाने में पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त रामअवध उर्फ शेरू के विरूद्ध जनपद स्तर पर 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना बरेसर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1— रामअवध उर्फ शेरू(पुरस्कार घोषित)निवासी ग्राम रेनगा थाना बरेसर जनपद गाजीपुर।

2—राहुल निवासी ग्राम देवरिया थाना जमानिया जनपद गाजीपुर।

<u>बरामदगी</u>

1 लूट के 01 लाख 05 हजार 150 रूपये नगद,

2—01 थम्ब स्कैनर मशीन,

3—02 अवैध पिस्टल, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

4— 01 मोटर साइकिल।

<u>जनपद अमेठी/थाना गौरीगंज</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **लूट के 4500 रूपये नगद,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस,**

दिनांक 17.12.2020 की रात्रि को थाना गौरीगंज एवं क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जामो तिराहा गौरीगंज के पास से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी अन्शू उर्फ अन्शुमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 4500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना गौरीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0—434/2020 धारा 392 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़ में हत्या, लूट, गैंगेस्टर एक्ट के 15 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गौरीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अन्शू उर्फ अन्शुमान निवासी राकी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी :—

1—लूट के 4500 रूपये नगद,

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस

जनपद सुल्तानपुर /थाना करौदीकलां

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **लूट के 3500 रूपये नगद,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस, बरामद**

दिनांक 18.12.2020 को थाना करौदीकलां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हरिपुर लालता प्रसाद पब्लिक स्कूल के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी मोनू उर्फ राशिद को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 3500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस, बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना करौदीकलां पर पंजीकृत मु0अ0सं0—163/2020 धारा 394/411 भादवि व मु0अ0सं0—164/2020 धारा 392/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना करौदीकलां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

मोनू उर्फ राशिद निवासी पटैला थाना खुटहन जनपद जौनपुर।

बरामदगी—:

1—लूट के 3500 रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद सम्भल /थाना असमोली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 01 खोखा कारतूस,**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 18.12.2020 को थाना असमोली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शाहपुर डसर की पुलिया के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिससे एक आरक्षी हेमराज घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी नाजिम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया । एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुये। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना हयातनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—384/2020 धारा 3(1)गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना असमोली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

नाजिम निवासी ग्राम रसूलपुर धतरा थाना हयातनगर जनपद सम्भल ।

बरामदगी—:

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

2—01 मोटर साइकिल

जनपद फतेहगढ़/थाना नवाबगंज

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी के लगभग 01 लाख 30 हजार रूपये कीमत के सोने चॉदी के आभूषण,**
- **01 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस,**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 17/18.12.2020 की रात्रि थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुठरी चौराहे के पास से 03 अभियुक्तों डिब्बी उर्फ डिम्पी उर्फ रवेन्द्र 2—रंजीत 3—वीरपाल उर्फ ब्रजपाल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर 01 लाख 30 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने चॉदी के आभूषण, 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 07.12.2020 को अज्ञात बदमाशों द्वारा थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पुठरी में चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0—340/2020 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस संबंध में थाना नवाबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—डिब्बी उर्फ डिम्पी उर्फ रवेन्द्र निवासी पुठरी थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।
2—रंजीत निवासी पुठरी थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।
3—वीरपाल उर्फ ब्रजपाल निवासी पुठरी थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1—01 लाख 30 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने चॉदी के आभूषण,
2— 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस,
3— 01 मोटर साइकिल

जनपद शाहजहॉपुर/थाना तिलहर

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख रू0 कीमत के 100 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 18.12.2020 को थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगर पालिका मैरिज होम के पास से अभियुक्त श्रीपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 20 लाख रू0 कीमत का 100 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ।

इस संबंध में थाना तिलहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

श्रीपाल निवासी ब्लाक गेट के पास गुरूगवां कालोनी थाना व जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

20 लाख रू0 कीमत का 100 ग्राम अवैध स्मैक।

जनपद उन्नाव (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 15 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले कन्हैया आदि तीन अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 14 करोड़ 85 लाख 79 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 10–10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0डी0जे0द्वितीय बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/394/34 भादवि में 02 अभियुक्तों 1–इमरान 2–शाकिर को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

जनपद बाराबंकी/थाना देवां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाराबंकी द्वारा थाना देवां पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भादवि में अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

जनपद बाराबंकी/थाना रामसनेहीघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास एवं 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बाराबंकी द्वारा थाना रामसनेहीघाट पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 363/366/376 भादवि में अभियुक्त लवकेश उर्फ लल्लन को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

————